

FORM NO.111

फर्द अहकाम





(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

बबली बनाम पतासी वगै०

किस्म मुकदमा - इजराय

मुकदमा नम्बर-16/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुई
27.03.2023	<p>वकील डिक्रीदार श्री दिलीप कुमार मंगावा एड० ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जायें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2023 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जायें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 27.04.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर </p>	
08.05.2024	<p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 877 दिनांक 30.10.2023 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फैसल की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">  (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) </p>	<p>आज लाइन में क्रिया शमा फा देवा भी पा लना ना. सं. 877 दि. 30.10.23 द्वारा की गयी।</p> <p style="text-align: center;">   </p>